



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 आश्विन 1946 (श0)

(सं0 पटना 949) पटना, शुक्रवार, 27 सितम्बर 2024

परिवहन विभाग

अधिसूचना

26 सितम्बर 2024

सं० 02/कर-शुल्क-01/2024-12371/परि०—मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा 212 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, जिसका उक्त अधिनियम की धारा 212 के अधीन अपेक्षित पूर्व प्रकाशन अधिसूचना संख्या-9962, दिनांक-23.08.2024 द्वारा किया जा चुका है।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ।—

- यह नियमावली बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली, 2024 कही जा सकेगी।
- यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से 05 कार्य दिवस के पश्चात् प्रभावी होगी।
- इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

2. बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम-74 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :-

(क) बिहार मोटर गाड़ी नियमावली, 1992 का नियम-74 के अन्तर्गत 5 वर्षों के लिए स्थायी परमिट (कन्ट्रैक्ट कैरेज, स्टेज कैरेज, मालवाहक, पर्यटक, निजी वाहक परमिट इत्यादि) की स्वीकृति/नवीकरण के लिए भुगतये फीस निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	वाहन का प्रकार	वाहन की विशिष्टियाँ	आवेदन शुल्क	परमिट शुल्क	कुल राशि	परिचालन का क्षेत्र
1.	मोटरबाइक	दो पहिया	150	1000	1150	All Bihar
2.	ओटो रिक्शा	तिपहिया वाहन	150	1500	1650	All Bihar
			CNG के लिए 150	1000	1150	All Bihar
3.	मोटर कैब	पाँच सीट से सात सीट तक (चालक सहित)	150	2000	2150	One Region
				4000	4150	All Bihar

क्र० सं०	वाहन का प्रकार	वाहन की विशिष्टियाँ	आवेदन शुल्क	परमिट शुल्क	कुल राशि	परिचालन का क्षेत्र
4.	मैक्सी कैब	सात सीट से अधिक तेरह सीट तक (चालक सहित)	150	3000	3150	One Region
				5000	5150	All Bihar
5.	मिनी बस (मोटर कैब के अतिरिक्त)	तेरह सीट से अधिक तेइस सीट तक (चालक सहित)	150	5000	5150	One Region
				7000	7150	All Bihar
6.	बस	तेइस सीट से अधिक (चालक सहित)	500	8500	9000	One Region, Two Region and more than Two Region
7.	छोटे मालवाहक वाहन	3000 कि०ग्रा० सकलयान भार	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।
8.	छोटे मालवाहक वाहन	3000 कि०ग्रा० से अधिक 7500 कि०ग्रा० तक सकलयान भार	500	2500	3000	One Region
				4500	5000	All Bihar
9.	मध्यम मालवाहक वाहन	7500 कि०ग्रा० से अधिक 12000 कि०ग्रा० तक सकलयान भार	500	3500	4000	One Region
				5500	6000	All Bihar
10.	भारी मालवाहक वाहन	12000 कि०ग्रा० से अधिक सकलयान भार	500	4500	5000	One Region
				6500	7000	All Bihar
11.	ट्रैक्टर (व्यावसायिक)	ट्रैलर सहित (एक या एक से अधिक अनुमान्य सीमा तक)	500	2500	3000	All Bihar

(ख) बिहार मोटर गाड़ी नियमावली, 1992 का नियम-74 के अन्तर्गत परमिट की शर्तों के विचलन हेतु आवेदन फीस निम्नलिखित होगी :-

- मोटर बाइक, ऑटो रिक्शा, मोटर कैब एवं मैक्सी कैब के स्थायी परमिट(कन्ट्रैक्ट कैरेज, पर्यटक परमिट इत्यादि) की शर्तों के विचलन हेतु आवेदन फीस-150/-
- मोटर बाइक, ऑटो रिक्शा, मोटर कैब एवं मैक्सी कैब से भिन्न वाहनों के स्थायी परमिट (कन्ट्रैक्ट कैरेज, स्टेज कैरेज, पर्यटक परमिट, मालवाहक इत्यादि) की शर्तों के विचलन हेतु आवेदन फीस-500/-

(ग) बिहार मोटर गाड़ी नियमावली, 1992 का नियम-74 के अन्तर्गत स्थायी/अस्थायी परमिट के प्रतिहस्ताक्षर हेतु आवेदन फीस निम्नलिखित होगी :-

- स्थायी अथवा अस्थायी परमिट के प्रतिहस्ताक्षर हेतु आवेदन फीस-500/-रु०
- राज्य के अन्दर दो क्षेत्रों के लिए निर्गत स्थायी परमिट के लिए प्रतिहस्ताक्षर फीस-4000/-रु०
- राज्य के अन्दर दो क्षेत्रों अथवा दो से अधिक क्षेत्रों के लिए निर्गत अस्थायी परमिट के लिए प्रतिहस्ताक्षर फीस-2000/-रु०

(iv) दूसरे राज्य से निर्गत स्थायी या अस्थायी परमिट के लिए प्रतिहस्ताक्षर फीस-4000/-रु०

(घ) अधिनियम की धारा 88(8) के तहत निर्गत होने वाले विशेष परमिट के लिए देय फीस निम्नलिखित होगी :-

- प्रत्येक सात दिन या उसके किसी भाग के लिए-500/-

(ङ) अधिनियम की धारा 87 के तहत निर्गत होने वाले चार माह के लिए अस्थायी परमिट के लिए फीस निम्नलिखित होगी :-

मोटर बाइक टैक्सी हेतु फीस-300/-

ऑटो रिक्शा हेतु फीस-500/-

मोटर बाइक एवं ऑटो रिक्शा को छोड़कर अन्य वाहनों हेतु फीस-1000/-

- (च) परमिट से आवृत्त वाहन को दूसरे वाहन से बदलने के लिए अर्थात् वाहन प्रतिस्थापन अथवा परमिटधारी का पता बदलने के लिए देय फीस—2000/—
- (छ) टैक्सी मीटर के अनुमोदन हेतु आवेदन पत्र के मामले में फीस—1000/—
- (ज) परमिट के स्वामित्व अन्तरण के लिए देय फीस—3000/—
- (झ) परमिट या उसके अंश के द्वितीयक प्रति निर्गत करने के लिए देय फीस—1300/—
- (ञ) परमिट से संबंधित अन्य फीस निम्नवत् होगी:-
- (i) समय-सारणी में परिवर्तन हेतु देय फीस—4000/—
- (ii) आपत्ति दाखिल करने हेतु देय फीस—1000/—
- (iii) परमिट प्रत्यर्पण हेतु देय फीस—1000/—
- (iv) परमिट सत्यापन हेतु देय फीस—1000/—
- (ट) अपील एवं पुनरीक्षण हेतु फीस निम्नलिखित होगी :-
- (i) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-89 और उसके अधीन बनाये गये नियम के अधीन अपील या आदेश के पुनरीक्षण से संबंधित आवेदन फीस—2000/—
- (ii) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-89 और उसके अधीन बनाये गये नियम के अधीन अपील या पुनरीक्षण से संबंधित किसी दस्तावेज की प्रत्येक प्रति के लिए निर्गत आदेश की अभिप्रमाणित प्रति हेतु फीस—100 रु0 प्रथम पृष्ठ तथा 10 रु0 अतिरिक्त प्रति पृष्ठ।
- (ठ) विभागीय अधिसूचना संख्या—GSR-16, दिनांक—07.10.1996 द्वारा बिहार मोटर गाड़ी नियमावली, 1992 का नियम-74 के अन्त में जोड़े गये अनुसूची-I को पूर्णरूपेण विलोपित किया जाता है।

3. बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 का नियम-82 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।—बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 का नियम-82 के अन्तर्गत—स्वीकृत अस्थायी/स्थायी किसी प्रकार के परमिट के नवीकरण की वैधता की समाप्ति के 15 दिनों पूर्व अथवा पड़ोसी राज्यों से निर्गत नये परमिट एवं नवीकृत परमिट के निर्गमन की तिथि से 15 दिनों के अन्दर प्रतिहस्ताक्षर हेतु आवेदन वाहन स्वामी द्वारा विहित प्रपत्र में दिया जायेगा और उसमें असफल होने पर निम्नलिखित विलम्ब फीस भुगतये होगी :-

- (i) परमिट के वैधता की समाप्ति की तिथि से 15 दिन के अन्दर—00.00 रु0
- (ii) परमिट के वैधता की समाप्ति की अंतिम तिथि के बाद, 30 दिनों के अन्दर—500.00 रु0
- (iii) परमिट के वैधता की समाप्ति के 30 दिनों के बाद परन्तु 60 दिनों के अन्दर—1000.00 रु0
- (iv) परमिट के वैधता की समाप्ति के 60 दिनों के बाद परन्तु 90 दिनों के अन्दर—2000.00 रु0
- (v) परमिट के वैधता की समाप्ति के 90 दिनों के बाद परन्तु 180 दिनों तक— 90 दिन के लिए 4000.00 रु0 या 90 दिन से अधिक 180 दिन तक के लिए 20,000 रु0 अध्यक्षीन।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 949+571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>